न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 174 / 17 **निर्णय दिनांकः–** 6-11-17

1. मानसिंह पुत्र रूड़सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रामसर तहसील व जिला चूरू

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21–08–1978
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थिति :–</u>

1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 21–08–1978 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया गया, के विरूद्ध इस [illegible] भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 1 जीएम के मुरब्बा नम्बर 92/18 में 21 बीघा केमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज कर दिया गया। अदालत सातहत का यह कथन

की अपीलांट को व्यक्तिगत नोटिस दिया गया, कतई सही नहीं है क्योंकि अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया नाही विधिवत तामील कराई गई है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे।

चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित हो चुकी है। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट के पीठ पीछे पारित किया गया है। ऐसे आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—08—1978 को पारित किया गया है जिसके विरूद्व अपीलांट ने अपील दिनांक 17—05—2017 को पेश की है। अपील में मियांद कण्डोन करने के लिए संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये गये है। अतः अपील मियांद बाहर होने से खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—08—1978 को पारित किया गया है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में अपील लगभग 40 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत

नहीं किया है। जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विलम्ब को कण्डोन करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

(2) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट को चक 1 जीएम के मुरब्बा नम्बर 92/18 में 20 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। किन्तु अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा नहीं लेने व कब्जा लेने के लिए सार्वजनिक सूचना के अलावा दिनांक 23—03—1978, 13—06—1978 व अंतिम रूप से 29—06—1978 को व्यक्तिगत नोटिस जारी किये गये

(3) प्रकरण मे अदालत मातहत द्वारा तामील उसके गांव में मानसिंह नामक तामील कुनिन्दा से उसके गॉव में नहीं मिलने पर उसके मकान पर चस्पा करके तामील करवाइ गई है। इस संबंध में यदि व्यक्तिशः सम्मन तामील असंभव है तो उसकी एक प्रति उस भवन या मकान पर बाहरी दरवाजे पर चिपका कर तामील की है। यह Sufficient तामील मानी जानी चाहिए। आवंटन अधिकारी ने अपने निर्णय में इसे स्पष्ट किया है, तत्पश्चात् 40 वर्ष उपरान्त आवंटन बहाली हेतु अपील प्रस्तुत करना औचित्यहीन है, जबकि विलम्ब के कोई कारण स्पष्ट अंकित नहीं है।

(4) अपीलांट द्वारा वर्ष 1978 में खारिजी आदेश से इतने वर्ष बीत जाने के बाद एक बार भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का सबूत नहीं है। अपीलांट के मूल आवेदन में हस्ताक्षर व वकालतनामें पर हस्ताक्षर का कोई मेल नहीं है। जो मामलें में की गई अपील को संदेहास्पद व दुषित बनाता है।

(5) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिसों के बावजूद अपीलांट कब्जा लेने उपस्थित नहीं आया। इस प्रकार अपीलांट द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम 1975 की धारा 16 के प्रावधानों व राजस्थान उपनिवेशन(सामान्य उपनिवेशन) शर्ता का उल्लंधन किया गया है, के आधार पर अपलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद बिन्दु व गुणावगुण पर खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 21—08—1978 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर